जनपद-संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　　दिनाँक 21.10.2024

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता तौफीक पुत्र सोहराब निवासी रजनौली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्र, का0 विजय कुशवाहा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 76 वाहनों से 84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 76 वाहनों से 84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए झपटमारी के मामले का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 290/2024 धारा 304(2) बी0एन0एस0 की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण नाम पता 01. रामू पुत्र चौथी निषाद निवासी ठाकुर द्वारा थाना मेंहदावल 02. अरुण निषाद पुत्र संतबली निवासी अमिलहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर व 01 नफर बालअपचारी को सोनबरसा जाने वाले मार्ग पोखरे के पास से पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

01. रामू पुत्र चौथी निषाद निवासी ठाकुर द्वारा थाना मेंहदावल।
02. अरुण निषाद पुत्र संतबली निवासी अमिलहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
03. बालअपचारी।

बरामदगी विवरण-

01 अदद मोबाइल फोन।

विवरण- विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 20.10.2024 को थाना मेंहदावल पर बावत वादी तथा वादी के भाई दिनांक 07.10.2024 को रात 12:30 बजे डीजल लेने के लिए गाड़ी से मेहदावल प्रोट्रोल पम्प पर आये थे। डीजल नही मिलने पर वादी घर वापस जा रहा था कि रास्ते में नमस्ते होटल के पास 04 लोग खड़े थे मेरी मोटरसाईकिल हाथ देकर रोकवाये मेरा तथा मेरे भाई का मोबाइल झपटमारी करके भाग जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसके उपरांत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.10.2024 को उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 रामरतन तिवारी, हे0का0 अजय कुमार सिंह, हे0का0 सुरेन सिंह।